

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

क्रमांक : ५६४५ /शै०५०

दिनांक : ०९.०२.२०१७


विषय : डी.एड. इण्टर्नशिप २०१५-१६ के इण्टर्न को इण्टर्नशिप पूर्ण करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने बारे।

बोर्ड सचिव आदेश दिनांक ०६.०२.२०१७ की अनुपालना में निम्न इण्टर्न को अति विशेष कारणों से उसके नाम के सामने दर्शाए गए विद्यालय में इण्टर्नशिप पूर्ण करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान की गई है :

ROLL NO.	INTERN NAME	ALLOTTED SCHOOL/BLOCK/DISTRICT
5313051072	HUKAM CHAND	GPS AURA/BALLABGARH/FARIDABAD

इण्टर्न को पत्र जारी होने की तिथि के ५ मास के अन्दर-अन्दर इण्टर्नशिप के न्यूनतम ९० कार्यदिवस पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गई है। अतः संबंधित डाईट प्राचार्य अविलम्ब पत्र प्रतिहस्ताक्षर करते हुए इण्टर्न को आबंटित विद्यालय में कार्यग्रहण करवाएं। इण्टर्न को केवल न्यूनतम ९० कार्यदिवस पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गई है, इसलिए विद्यालय मुखिया इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इण्टर्न के ९० कार्यदिवस पूर्ण होते ही पूर्व निर्धारित फॉर्मूले अनुसार ग्रेड का आंकलन करते हुए ग्रेड संबंधित के डी.एड. सस्थान को भिजवाएंगे।

प्रतिहस्ताक्षर
संबंधित डाईट प्राचार्य


सहायक निदेशक (शैक्षिक)
कृते : सचिव

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

क्रमांक : ५६४३ /शै.प.


दिनांक : ०४ .02.2017

विषय : डी.एड. इण्टर्नशिप 2015-16 को पूर्ण करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने बारे।

उपर्युक्त विषय बारे निम्न वर्णित इण्टर्न से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन करने उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा इनके मामले अति विशेष न मानते हुए इन्हें इण्टर्नशिप पूर्ण करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है :

<u>क्र.सं.</u>	<u>अनुक्रमांक</u>	<u>इण्टर्न का नाम</u>
1	5313180856	प्रविन्द्र
2	5313060662	अमित कुमार
3	5313180743	संगीता

अतः उक्त वर्णित इण्टर्न को डी.एड. डिप्लोमा जारी नहीं किया जाएगा।


सहायक निदेशक (शैक्षिक)
कृते : सचिव